IEC GROUP OF INSTITUTIONS

GREATER NOIDA

पत्रांक : IEC /RO/SWD/2015-16/ दिनांक 15.05.2016

सूचना

विषयः **सत्र 2016–17 के छात्र–छात्राओं द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन करने के संबंध में।**

संस्थान के सभी छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है, कि सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2016–17 के लिए समय सारणी एवं दिशा–निर्देश विभाग द्वारा निर्धारित की जा चुकी है (संलग्न) जो समाज कल्याण विभागीय वेबसाइट www.scholarship.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

समस्त छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2016–17 के अंतर्गत जो भी छात्र/छात्राएं नवीन/नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे वह आवेदन के समस्त दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें तथा उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन करें तथा योजनानुसार समस्त बिंदुओं पर समय रहते आवश्यक कार्यवाही करें जिससे ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी प्रकार की त्रुटियों से बचा जा सके!

अति आवश्यक : **आवेदन करने के लिए सभी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड का होना अनिवार्य होगा।**

(निदेशक)
आईईसी ग्रुप

छायाप्रति :

1. सी.ई.ओ. को सूचनार्थ हेतू।
2. सी.एफ.ओ. को सूचनार्थ हेतू।
3. नोडल अधिकारी (स्कॉलरशिप) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
4. कुल सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
5. सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित छात्रों को सूचना उपलब्ध कराने हेतू।
6. सूचना पट पर चस्पा कराने हेतू।
7. संस्था की वेबसाइट पर अपलोड हेतू।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु छात्र/छात्राओं के लिए सामान्य जानकारी एवं उनके दायित्व

उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है, जो उ0प्र0 के मूल निवासी है तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थागत विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो।

- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशि सम्मिलित होगी
  क–अनुरक्षण भत्ता– सामान्य भाषा में इसी को छात्रवृत्ति के रूप में जाना जाता है।
  ख–अनिवार्य वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति।
  ग–अध्ययन दौरा (Tour) खर्च ।
  घ–शोध कार्य का टंकण/मुद्रण खर्च।
  ड–विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ता।
- "शुल्क" का तात्पर्य ऐसी **अनिवार्य धनराशि** से है जो छात्र/छात्राओं द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि (Security Deposit) जैसी **वापस की जाने वाली** धनराशि इसमें शामिल नही होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा (शिक्षण शुल्क/टयूशन फीस), खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गई वार्षिक अनिवार्य नॉन रिफेण्डेबुल की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफेण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा कराई गई शुल्क की वास्तविक धनराशि में से जो भी न्यूनतम धनराशि होगी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खातें में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संस्था में निःशुल्क प्रवेश प्राप्त छात्र निर्धारित कॉलम में वार्षिक अनिवार्य नॉन रिफेण्डेबुल शुल्क के रूप में वह धनराशि अंकित करेंगे जो संस्था में प्रवेश, अध्ययन एवं परीक्षा आदि हेतु सामान्य वर्ग अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों द्वारा संस्था में अनिवार्य शुल्क के रूप में जमा किया जाता है। **सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के संदर्भ में** संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम के लिए सक्षम स्तर से निर्धारित अनिवार्य नॉन रिफेण्डबुल शुल्क अथवा छात्र/छात्रा द्वारा संस्था में अनिवार्य शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि या **अधिकतम रूपया 50000/-** में से जो कम होगा उसकी प्रतिपूर्ति शासन द्वारा शुल्क के रूप में की जायेगी।
- छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्रा निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन पात्र होगे–
  - (i) केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होगे जो कि उ0प्र0 राज्य से सम्बन्धित हो अर्थात् उ0प्र0 राज्य के स्थाई निवासी हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में वे अभ्यर्थी जो उ0प्र0 राज्य के संदर्भ में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्डरी या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
  - (ii) सामान्य वर्ग के केवल वे ही अभ्यर्थी इसके पात्र होगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित हो अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हो एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्डरी या इससे कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथापि "**प्राइवेट संस्थानों में प्रोफेशनल पाठ्यकमों में जहां कक्षा 12 के प्राप्तांको के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु बेन्च मार्ग कक्षा 12 की परीक्षा में 60 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधान गैर प्रोफेशनल पाठ्यकमों पर लागू नही होगें।**
  - (iii) **छात्रवृति नियमावली के अनुसार आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही होगी।**
  - (iv) डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्व शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रकिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होने मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विवरण आनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो। इसका तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रकिया/काउन्सलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा नियमानुसार डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले वे छात्र जिनके प्रवेश सम्बन्धी विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया गया हो उन्हें ही नियमानुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी।

(v) पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा नही प्राप्त होगी।

(vi) ऐसे अभ्यर्थी पात्र नही होगे जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे। उदाहरणार्थ–इन्टर आर्टस करने के बाद इन्टर साइन्स करने लगे या बी0ए0 करने के बाद, बी0काम करने लगे या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0करने लगे।

(vii) ऐसे अभ्यर्थी भी इसके पात्र नही होगे जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यकम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के बाद किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यकम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगे जैसे–बी0टी0/बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगे।

(viii) छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए समूह–1 के पाठ्यकम यथा–स्नातक/स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबन्धकीय आदि सहित सभी समूहों के पाठ्यकमों में अध्ययनरत छात्रों को सभी पाठ्यकमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(ix) यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर किसी अन्य पाठ्यकम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यकम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यकम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यकम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। बिना पाठ्यकम पूरा किये पाठ्यकम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यकम की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनर्ह होगा।

(x) अभ्यर्थी के माता/पिता या पति या संरक्षक जैसा भी लागू हो, की समस्त स्रोतो से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र, जो राजस्व परिषद् की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के माता–पिता/पति/संरक्षक नौकरी में है तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नही है तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(xi) आय प्रमाण पत्र केवल एक बार अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यकमों में दाखिले के समय ही लिया जायेगा। अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यकम की समाप्ति तक पुनः आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नही होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यकम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण पत्र देना होगा।

(xii) विगत वर्ष 2015–16 तक प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की कुल वार्षिक आय, विगत कक्षा के प्राप्तांक/प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यकम के अनुसार वेटेज अंक प्रदान करते हुए सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का वितरण करने तदोपरान्त घटते कम में बजट की उपलब्धता तक वितरण करने की व्यवस्था निर्धारित थी। **किन्तु चल वित्तीय वर्ष 2016–17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति संशोधित नियमावली 2016 के अन्तर्गत वेटेज अंक निर्धारण हेतु परिवार की कुल वार्षिक आय को हटाते हुए प्रत्येक छात्र/छात्रा के विगत कक्षा के प्राप्तांक/प्रतिशत एवं समूहवार पाठ्यकम के अनुसार वेटेज अंक निर्धारण कर बजट की उपलब्धता तक धनराशि वितरण का प्राविधान किया गया है।**

(xiii) छात्र/संस्थान/शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्डकापी एवं समस्त परिशिष्ट व संलग्वकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर या फारवर्ड न किये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/संदिग्ध विवरण भरने पर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता/अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(xiv) किसी भी समूह में छात्र के वार्षिक परीक्षा में असफल रहने की स्थिति में उसकी छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नही हो सकेगा। सम्बन्धित छात्र को तब तक अपना खर्च स्वंय वहन करना होगा जब तक वह अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता है।

(xv) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण कमांक भरना अनिवार्य होगा।

(xvi) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ हो तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात् दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, तो यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो तो वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है।

(xvii) छात्रवृत्ति आवेदन कर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पाने वाले निम्नांकित श्रेणी के छात्र/छात्राओं के विरूद्व विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

1. छात्र/छात्रा द्वारा स्वंय/माता–पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।
2. छात्र/छात्रा द्वारा झूठा [illegible] पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।

3. छात्र/छात्रा द्वारा एक ही शैक्षणिक वर्ष में किसी पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करके तथा अध्ययन छोड़कर या पाठ्यक्रम/शिक्षण संस्थान बदलकर पुनः दूसरे पाठ्यकम व शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।

उपरोक्त नियमों शर्तो से अवगत होते हुए आनलाइन आवेदन करने हेतु छात्र/छात्राओं के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित किये जाते है-

A. सामान्य जानकारी हासिल करना

1. प्रिन्ट किये गये नमूना आवेदन पत्र पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर लें ताकि आनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहें।
2. आनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियॉं अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लैटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां भी अग्रेंजी अंक पद्वति में अंकित की जानी है।
3. प्रविष्टियां भरने में स्पेशल कैरेक्टर यथा. #,$,%,^,&,*,(),-,= इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।

B. आनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना

1. प्रथम चरण में छात्र/छात्रा को निर्धारित वेबसाइट http://schlorship.up.nic.in के माध्यम से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
2. रजिस्ट्रेशन में मांगी गई सम्पूर्ण प्रविष्टियॉं वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरे अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।
3. रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदन का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं स्कीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का विकल्प होगा।
4. रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिन्ट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिन्ट करवा लें।

आनलाइन आवेदन करना

1. सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
2. इसके लिये निर्धारित वेबसाइट http://schlorship.up.nic.in पर जाकर आनलाइन आवेदन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त स्कीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें
3. इसके बाद स्कीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियां सही होने पर स्कीन पर आनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।
4. इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वतः प्रदर्शित होगी जो आवेदक द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा वांछित कालम में सूचनायें सही-सही भरी जाय।
5. जिस कालम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कालम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।
6. छात्र-छात्रा आवेदन फार्म में अपने नाम के बैंक का ही विवरण भरेगा जो उसके माता-पिता/अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो। किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।
7. इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरान्त Submit बटन पर क्लिक करें। इसके उपरान्त अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिन्ट-आउट निकालें जिसके लिए स्कीन पर दिये गये बटन पर क्लिक करें। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भली भॉंति जांच ले, यदि समस्त प्रविष्टियां सही है तो पुनः होम-पेज पर अपने "फोटो अपलोड करें" पर क्लिक करें, और स्कीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म-तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।
8. इसके बाद स्कीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो जिसके नीचे आवेदन के हस्ताक्षर हो, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कीन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइट 20 KB से अधिक की नही होनी चाहिये।
9. फोटो अपलोड करने की प्रकिया में स्कीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात् अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्कीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करे।
10. Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा, अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वतः निरस्त हो जायेगा।
11. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आंनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट http://schlorship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होगें। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।

आवेदन पत्र को प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट–आउट निकाल लें एवं इस प्रिन्ट–आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेंट जैसे–आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त **07 कार्य दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।**

आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना

1. संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट–आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।
2. निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये आवेदन की स्थिति जाने को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।

छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना

छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS की सुविधा भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी–

1. आवेदन पत्र आनलाइन **Submit** करने पर।
2. शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापित करने पर।
3. छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।
4. बैंक खातें में धनराशि प्रेषण करने पर।

छात्र/छात्राओं द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना

प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में आधार नंबर अंकित करना होगा।

उपरोक्त समस्त नियमों/प्राविधानों/शर्तो/दायित्वों का भलीभाँति अनुशीलन करते हुए शैक्षणिक सत्र 2016–17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11 व 12 तथा ग्रुप 1,2,3 व 4 (कक्षा 11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु शासनादेश संख्या–99/2016/आर–1338 /26–3–2016–4(358)/07टी.सी.–।।। दिनांक 30.04.2016 द्वारा निर्गत निम्नवत् समय–सारिणी के अनुसार विभिन्न प्रकियात्मक कार्यवाही सम्पादित की जानी है:–

क्रम संख्या	प्रकियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समयावधि कक्षा 11–12 हेतु	कार्यवाही की समयावधि समूह–1,2,3व 4 (कक्षा 11–12 को छोड़कर)
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना	01 जुलाई से 31 अगस्त 2016 तक	01 जुलाई से 30 सितम्बर 2016 तक
2	छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर विलम्बतम 07 सितम्बर, 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 07 दिन के अन्दर, विलम्बतम 07 अक्टूबर 2016 तक
4	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 से 10 नवम्बर, 2016 तक	01 से 10 नवम्बर, 2016 तक
5	ऑनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर 2016 तक	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, विलम्बतम 13 नवम्बर, 2016 तक

दशमोत्तर छात्रवृत्ति से सम्बन्धित विस्तृत नियमावली व समय–सारिणी विभागीय वेबसाइट http://schlorship.up.nic.in पर उपलब्ध है।